रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1914] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2009/कार्तिक 29, 1931
No. 1914] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2009/KARTIKA 29, 1931

विदेश मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2009

का.आ. 2962(अ).—समुद्री क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात के प्रति संतुष्ट होते हुए कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा दिनांक 11 मई, 2009 के सं. का. आ. 1197 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 11 मई, 2009 के विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना [फा. सं. यूआई/251.1/04/2009] में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :—

उक्त अधिसूचना में,

(i) उप-पैरा (क) की प्रथम लाइन में वाक्यांश "(एवरेस्ट गोलाभ में)" के स्थान पर [भारतीय भूगणितीय आधार (एवरेस्ट दीर्घवृत्तज 1956)] प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अनुसूची I में "भौगोलिक निर्देशांक" शीर्षक वाली तालिका में "अनुमानित" शब्द को हटा दिया जाएगा;

(iii) अनुसूची III में क्रम सं. 107 के बाद निम्नलिखित रूप में एक नई पंक्ति बनाई जाएगी :

108-120	अलग से अधिसूचित किया जाएगा

उपर्युक्त संशोधनों को छोड़कर 11 मई, 2009 के उपयुक्त राजपत्र अधिसूचना की विषय-वस्तु वही रहेगी।

[फा. सं. यूआई/251.1/04/2009]

राजीव मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th November, 2009

S.O. 2962(E).—In exercise of the powers conferred by Section 10, read with sub-section (2) of Section 3, of the Territorial waters, Continental shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs, No. [F. No. UI/251.1/04/2009] dated the 11th May, 2009 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1197(E) dated the 11th May, 2009, namely :—

In the said notification,

(i) in the first line of sub-paragraph (a), the phrase "(in Everest Spheroid)" shall be replaced by "[Indian Geodetic Datum (Everest Ellipsoid 1956)];

(ii) the word "Approx." shall be deleted in the table heading "Geographic Coordinates" in Schedule I; and

(iii) in Schedule III, a new row shall be inserted after serial number 107, as follows:—

108-120	To be notified separately

Except the amendments as detailed above, the contents of the aforesaid Gazette Notification of May 11, 2009 shall remain unchanged.

[F. No. UI/251.1/04/2009]

RAJIVA MISRA, Jt. Secy.